मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 2 अगस्त, 2005 (श्रावण 11, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्य कक्षा छटवीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कमल पुष्प का चित्र छापे जाने की बात कहते हुए गर्भगृह में आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा तारांकित प्रश्नों से संबंधित माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गये परन्तु व्यवधान होने के कारण किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सके)

(भारतीय जनता पार्टी (सत्ता पक्ष) एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के विरोध में नारेबाजी करते रहें)

1. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड मुरैना जिलों में सिथेटिंक दूध का कारोबार धड़ल्ले से चलने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा तहसील के अनेक ग्रामों में भू-बंदोबस्त के बाद भी किसानों के खेतों का नक्शा व सीमांकन न होनें,

(3) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले की जौरा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत नलकूप यूनिट पाइंटों का खनन कार्य अपूर्ण होने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय में सुविधाओं का अभाव होने,

(5) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा उपसंभाग अंतर्गत चौरई विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत सर्वेक्षणाधीन, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सिचाई योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से न होने,

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश में 6 वर्ष के बच्चों गर्भवती तथा धात्री माताओं को
घटिया एवं ऊंची दरों पर पोषण आहार दिये जाने,

(7) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य की बी.एड./ बी.टी आई. परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक वेतन वृद्धि से वंचित होने,

(8) श्री शिव प्रसाद राठौर, सदस्य की बैतूल जिले के अनेक कर्मचारी शिक्षकों की विभागीय जांच लंबित होने,

(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने, तथा

(10) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की सीधी जिले की तहसील कुसमी के ग्राम मतखनिया
के अंतर्गत अवैध रूप से पेड़ काटे जाने,
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पारस जैन, राज्य मंत्री ऊर्जा ने-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) (क) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2001-2002 (दिनांक 15-4-2001 से 31-3-2002),
पटल पर रखे।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही)

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गये परन्तु व्यवधान होने के कारण सूचनाएं प्रस्तुत नही हो सकीं।

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सातवां, आठवां तथा नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ माना गया।

(2) श्री धरमू राय, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का तृतीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार-

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम अजीतपुरा से पिढ़ावली तक सड़क बनाये जाने, तथा

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) ग्राम गढ़ी करहइया से खलौन तक सड़क बनाये जाने,

(ख) बर्धा रोड से खलौन तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम मदनपुरा से धौर्रा तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम मलोही से तिघरा तक सड़क बनाये जाने,

(ङ) सलैहा रोड से खरा तक सड़क बनाये जाने,

(च) ग्राम गिरगिटा में तालाब बनाये जाने,

(छ) ग्राम सुनवानी से सूरजपुरा तक सड़क बनाये जाने,

(ज) ग्राम बुधेड़ा में विद्युत खम्बों पर तार खिचवाये जाने, एवं

(झ) झिलमिला सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने,

संबंधी याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 11 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा,विधि एवं विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 11 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ

(2) श्री हिम्मत कोठारी, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) पर विचार किया जाने.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा 4 विधेयक का अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हिम्मत कोठारी, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक परित हुआ

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 17सन् 2005) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 17सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही)

व्यवधान होने के कारण 10.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 3 अगस्त, 2005 (श्रावण 12, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.